Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 330 / 2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी , वादी
इंडस टॉवर लि0, रावतगार्डन,
नियरबाई बी.एस.एन.एल टॉवर,
रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा।

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन / एकाउंट संख्या 40112260430 के सापेक्ष पी. डी. कराने के लिए उन्होने पीडी0 शुल्क जमा करने साथ निवेदन किया था लेकिन अभी तक पीडी0 की कार्यवाही नहीं हुई है।

उन्होने संयोजन की पीडी0 करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1357 दिनांक 17.08.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 24.08.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने बताया कि उनके संयोजन संख्या 40112260430 के सापेक्ष उन्होने दिनांक 13.05.2026 को पी.डी. के लिए अनुरोध किया था, जिसके सापेक्ष उन्होने रू0 600.00 पी. डी. शुल्क जमा भी कर दिया था लेकिन पी.डी. नहीं हुयी।

विभाग को निर्देशित किया गया था कि प्रकरण में कि गयी कार्यवाही के साथ विस्तृत आख्या 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 16.09.2026 नियत की थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 16.09.2026 तथा 07.10.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही प्रकरण में कोई आख्या प्राप्त हुयी थी। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह यह प्रकरण में विस्तृत आख्या के साथ दिनांक 08.10.2026 में प्रस्तावित कैंप मजखाली, रानीखेत में अपरान्ह 11.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4 .वाद की सुनवाई दिनांक 08.10.2026 में आज उपभोक्ता शिविर मजखाली (रानीखेत) में की गयी। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. (रा0) ने बताया कि वादी का केस दिनांक 04.06.2026 को पी.डी. के लिए पंजीकृत किया गया था और सारी प्रक्रिया को पूर्ण

करने के पश्चात् वादी के संयोजन का पी.डी. कर दिया गया है। पी.डी. के उपरान्त वादी का अंतिम बिल रू0 27179 ऋणात्मक बना है जिसमें वादी की जमानत धनराशि समायोजित हैं।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर पत्र द्वारा सूचित करें कि उपरोक्त भुगतान किसके नाम से और किस अकाउंट में किया जाए तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोंक्त राशि का भुगतान वादी के संबंधित खाते में करना सुनिश्चित करें।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया कि वादी का केस दिनांक 04.06.2026 को पी.डी. के लिए पंजीकृत किया गया था और सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् वादी के संयोजन का पी.डी. कर दिया गया है। पी.डी. के उपरान्त वादी का अंतिम बिल रू0 27179 ऋणात्मक बना है जिसमें वादी की जमानत धनराशि समायोजित हैं।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर पत्र द्वारा वादी को सूचित करें कि उपरोक्त भुगतान किसके नाम से और किस अकाउंट में किया जाए तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोंक्त राशि का भुगतान वादी के संबंधित खाते में करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 09.10.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 331/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, डोबियाताल,
रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन/एकाउंट संख्या 42200244847 के सापेक्ष मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में आसाधारण बिल निर्गत किये गये जिसको मई 2026 की बिलिंग में संशोधित कर दिया गया था परंतु विभाग ने रू0 4446 का लेट पेमेंट सरचार्ज बिल में लगा दिया था जो उचित नहीं है। उन्होने यह भी बताया कि जून 2026 में भी अधिक बिल निर्गत किया गया है। उन्होने बिलों को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1358 दिनांक 18.08.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 24.08.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने बताया कि उनके 10 किलोवाट संयोजन के सापेक्ष जनवरी 2026 की बिलिंग साईकिल में रू0 1176928 का आसामान्य बिल निर्गत हुआ था जो कि डंप रीडिंग का था जिसका उन्होने भुगतान कर दिया था। वादी ने बताया कि विभाग द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि भविष्य में रीडिंग आधारित बिल निर्गत किये जायेगें लेकिन अभी भी ऐवरेज बिलिंग की जा रही है जिसकी वजह से रू0 4446 का एल.पी.एस.सी लगा दिया गया है। इसे हटाने के लिए वादी ने निवेदन किया है और भविष्य में रीडिंग आधारित बिल निर्गत कराने का अनुरोध किया है। विभाग द्वारा प्रकरण में कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी।
विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 16.09.2026 नियत की थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 16.09.2026 तथा 07.10.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। और ना ही प्रकरण में कोई आख्या प्राप्त हुयी। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह प्रकरण में विस्तृत आख्या के साथ दिनांक 08.10.2026 में प्रस्तावित कैंप मजखाली में 11.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

9/10/26

09/10/2026

4 वाद की सुनवाई दिनांक 08.10.2026 में आज उपभोक्ता शिविर मजखाली (रानीखेत) में की गयी। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. (रा0) उपस्थित हुए। वादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके संयोजन संख्या 42200244847 के सापेक्ष जनवरी 2026 में रू0 1176928 का विवादित बिल भेजा गया था। मीटर की एमआरआई0 के पश्चात् बताया गया था कि मीटर रीडर तीन साल से मीटर रीडिंग नहीं ले रहा था जिस वजह से जनवरी 2026 की बिलिंग में डंप रीडिंग हुयी थी। इस तरह मार्च 2026 और अप्रैल 2026 की डंप रीडिंग बिलिंग को मई 2026 में रीडिंग आधारित करने के बाद ठीक किया गया जिसमें रू0 4446 का एल.पी.एस.सी लगा दिया गया था। उन्होने उक्त एल.पी.एस.सी को हटाने का निवेदन किया है।

विभाग द्वारा बताया गया कि मीटर रीडर द्वारा रेगुलर रीडिंग नहीं की गयी जिस वजह से डंप रीडिंग के बिल निर्गत किये गये। उन्होने बताया कि रू0 4446 का एल.पी.एस.सी बिल संशोधन के कारण हटा दिया जाएगा।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर उपरोक्त एल.पी.एस.सी रहित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् उपरोक्त पर 10 दिन के अंदर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।विभाग को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में वादी को रीडिंग आधारित बिल निर्गत किये जाए। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेगुलर रीडिंग ना लेने के कारण संबंधित मीटर रीडर के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाए।

आदेश

यह प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसमें मीटर रीडर द्वारा नियमित मीटर रीडिंग ना लिये जाने के कारण डंप रीडिंग के बिल निर्गत किये गये थे। विभाग द्वारा डंप रीडिंग के बिलों को संशोधित कर दिया गया था परंतु लेट पेमेंट सरचार्ज के रूप में लगाये गये रू0 4446 को नहीं हटाया गया।

इन परिस्थितियों विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिनों के अंदर, एल.पी.एस.सी रहित बिल, वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् उपरोक्त पर 10 दिन के अंदर, अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में वादी को रीडिंग आधारित बिल निर्गत किये जाए।

विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेगुलर रीडिंग ना लेने के कारण संबंधित दोषी मीटर रीडर के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 09.10.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित 9/10/2026
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 334 / 2026

श्री मदन सिंह, पुत्र श्री नैन सिंह,
ग्राम – द्वारी, बास्ती, पो0ऑ0– सनगाड़
जिला– बागेश्वर। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बागेश्वर। । प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बीजी2एम221056336 के सापेक्ष अधिक बिल आ रहा है जिसको ठीक करवाने के लिए उन्होने निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1376 दिनांक 01.09.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.09.2026 तथा 07.10.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने पत्र संख्या 3239 दिनांक 15.09.2026 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बिल संशोधन दिखाया गया। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी की तिथि 02.11.2026 को नियत की गयी थी।

3..मंच की सुनवाई तिथि 02.11.2026, में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी से उसके द्वारा दिये गये फोन नं0 8630094798 पर बात करने की कोशिश की गयी परंतु उन्होने फोन नहीं उठाया। विभाग की तरफ से सूचित किया गया है कि वादी के आई.डी.एफ विद्युत बिलों को संशोधित कर दिया गया है और संशोधित धनराशि रू0 4596 से संशोधित होकर रू0 1452 बनी है जो कि सही है और देय है।
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 10 दिन के अंदर लिखित पत्र के साथ वादी को संशोधित बिल भेजना सुनिश्चित करें जिसे वादी द्वारा 15 दिन के अंदर जमा किया जाएगा।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के बिल आई.डी.एफ पर निर्गत किये गये थे जिन्हे संशोधित कर दिया गया है और संशोधित धनराशि रू0 4596 से संशोधित होकर रू0 1452 बनी है जो कि सही है और देय है।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि 10 दिन के अंदर लिखित पत्र के साथ वादी को संशोधित बिल भेजना सुनिश्चित करें जिसे वादी द्वारा 15 दिन के अंदर जमा किया जाएगा तत्पश्चात् विभाग द्वारा 15 दिनों के अंदर मंच के समक्ष उपरोक्त पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 02.11.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.ओ0पी0दीक्षित, सदस्य तकनीकी

परिवाद संख्या 339 / 2026

श्री चंदन राम,
ग्राम – मनबजौना, पो0ऑ0– द्वारसों,
रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत जिला– अल्मोड़ा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या आर एन11371911036 के सापेक्ष, उनका विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है जो कि बी.पी.एल. श्रेणी का है।

उन्होने उक्त बिल को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1405 दिनांक 21.10.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.11.2026 में वादी की तरफ से श्री चंदन राम उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान उपखंड अधिकारी (रा0) से फोन पर बात की गयी।
विभाग ने बताया कि वादी के बिल में त्रुटि थी जिसमें संशोधन कर दिया गया है और अब वादी का बिल रू0 1502. ऋणात्मक बनता है। वादी उपरोक्त बिल से संतुष्ट है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के बिल में त्रुटि थी जिसमें संशोधन कर दिया गया है और अब वादी का बिल रू0 1502. ऋणात्मक बनता है। वादी उपरोक्त बिल से संतुष्ट है।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 02.11.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य